(039-326) WK 06

08 WEDNESDAY • FEBRUARY

नातेदारी संज्ञाएँ
Kinship Terms

मानवशास्त्रीय अध्ययनों में इस तथ्य पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि हम विभिन्न श्रेणी के नातेदारों को सम्बोधित करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे अध्ययनों के पीछे मानवशास्त्रियों का विश्वास है कि नातेदारी सम्बोधनों के द्वारा ही हम आदिम समाजों में पायी जाने वाली सामाजिक संबंधों के प्राचीन स्वरूप को समझ सकते हैं तथा इसी की सहायता से हम विशेष अवधि में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की प्रकृति को समझा जा सकता है।

नातेदारी संज्ञा क्या है? इसे परिभाषित करते हुए मजूमदार ने लिखा – नातेदारी संज्ञाएँ वे सम्बोधन हैं जिनका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों को सम्बोधित करने के लिए किया जाता है।

मॉरगन द्वारा अमरीका की इराक्वुस जनजाति का अध्ययन ने नातेदारी संज्ञाओं के महत्व को स्पष्ट किया अतः इसे मानवशास्त्रीय अध्ययनों में बहुत उपयोगी समझा जाने लगा। मॉरगन ने नातेदारी संज्ञाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है जिन्हें वर्णित नातेदारी संज्ञाएं तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ कहा जाता है।

(1) वर्णित नातेदारी संज्ञाएँ →

नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के अनेक नातेदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक ही संज्ञा अथवा समान शब्द से सम्बोधित करते हैं। मॉरगन ने यह स्पष्ट किया कि अमरीका की इराक्वुस जनजाति में जिस शब्द से पिता को सम्बोधित किया जाता है, उसी शब्द से पिता के भाई और माता के भाई को भी सम्बोधित करने का प्रचलन है। इसी प्रकार जिस शब्द से माँ को सम्बोधित किया जाता है, वही शब्द माँ की बहिन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब एक ही संज्ञा अथवा सम्बोधन के द्वारा एक वर्ग के

अनेक लोगों को सम्बोधित किया जाता है तब ऐसी सम्बन्ध-संज्ञा को हम वर्गीकृत संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेमा नागाओं में 'अजा' शब्द का प्रयोग माँ के अतिरिक्त चाची, ताई और मौसी के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ 'अपू' शब्द से पिता, चाचा, ताऊ तथा मौसा को साथ-साथ सम्बोधित करने का प्रचलन है।

वास्तव में वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएँ केवल समान वर्ग के लोगों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होतीं बल्कि कभी-कभी विभिन्न पीढ़ियों और विभिन्न लिंग के व्यक्तियों को सभी समान नातेदारी संज्ञा से ही सम्बोधित करने का प्रचलन पाया जाता है। जैसे कूकी जनजाति में 'हेपू' शब्द के द्वारा केवल दादा, नाना, अथवा श्वसुर को ही सम्बोधित नहीं किया जाता बल्कि ममेरे भाई, साले और भतीजे को भी इसी शब्द से सम्बोधित किया जाता है। अर्थात यह सम्बोधन तीन पीढ़ियों तक के अनेक व्यक्तियों के लिए समान है।

(2) विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ (Particularistics Kinship Terms) →

मजूमदार का कथन है कि ऐसी संज्ञाएँ वास्तविक सम्बन्ध की सूचक होती हैं तथा केवल उन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग में लायी जाती हैं जिनके सन्दर्भ में या जिन्हें सम्बोधित करने के लिए बात की जाती है। इसका तात्पर्य है कि माँ, पिता तथा पत्नी आदि ऐसी संज्ञाएँ हैं जिनका प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए ही किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ मानी हुई नहीं होती बल्कि यह एक यथार्थ सम्बन्ध को स्पष्ट करती है। यह इस अर्थ में स्पष्ट है कि एक विशेष संज्ञा केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में लायी जाती है।

वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं तथा विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं की उपर्युक्त प्रकृति से यह स्पष्ट हो जाता

है कि इनके बीच अनेक आधारभूत अन्तर हैं। इनके बीच पायी जाने वाली कुछ प्रमुख भिन्नताओं को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है:—

(1) वर्णित नातेदारी संज्ञाओं के द्वारा एक वर्ग के अनेक व्यक्तियों को समान मानते हुए उन्हें एक ही शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाता है, जबकि विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ वैयक्तिक होती हैं।

(2) वर्णित नातेदारी संज्ञाओं के अन्तर्गत कभी-कभी पीढ़ियों तथा लिंग के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। कभी-कभी अति में बहुत बड़े और छोटे व्यक्तियों के लिए तथा स्त्री तथा पुरुष नातेदारों के लिए भी समान संज्ञा का ही प्रयोग कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसी संज्ञाएँ अपनी प्रकृति से सामान्यीकृत होती हैं। विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ इस अर्थ में विशिष्ट हैं कि एक विशेष संज्ञा का प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए ही किया जा सकता है।

(3) वर्णित नातेदारी संज्ञाएँ अकसर काल्पनिक अथवा 'मानी हुई' होती हैं। इसरी ओर, विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ जन्म अथवा विवाह के यथार्थ सम्बन्धों पर आधारित होती हैं।

(4) साधारणतया वर्णित नातेदारी संज्ञाओं का सम्बन्ध उन सभी व्यक्तियों से होता है जो हमारे द्वितीयक, तृतीयक अथवा इससे भी आगे की श्रेणियों के नातेदार होते हैं। विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं का मुख्य सम्बन्ध प्राथमिक नातेदारों से अधिक होता है।

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णित नातेदारी संज्ञाएँ सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार के साथ इस कारण विकसित हुई जिससे एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के प्रति आवश्यक घनिष्ठता और अपनत्व को प्रदर्शित किया जा सके। इसके विपरीत विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएँ समाज में उस समय से विद्यमान हैं जब एक व्यक्ति का सम्बन्ध केवल अपने

माता-पिता और भाई-बहिनों तक ही सीमित था।

नातेदारी संज्ञाएं चाहे किसी भी रूप में हो, नातेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत इनके अध्ययन का महत्व सर्वमान्य है। मॉरगन ने नातेदारी संज्ञाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि इनकी सहायता से समाज के विकास के स्तरों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए- किसी जनजाति में जब समान स्तर की सभी स्त्रियों को किसी एक संज्ञा द्वारा ही सम्बोधित किया जाता है तो इससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि आरम्भ में उस जनजाति में समूह विवाह अथवा समूह कामाचार की स्थिति रही होगी।

रिवर्स का कथन है कि नातेदारी संज्ञाएं इस दृष्टिकोण से प्रकार्यात्मक हैं कि इनसे एक विशेष व्यक्ति के प्रति अनेक दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का बोध होता है। उदाहरण के लिए, उरावं जनजाति में बुआ, मामी, मौसी और सास को एक ही संज्ञा 'हान्ची' द्वारा सम्बोधित किया जाता है। इन सभी स्त्रियों के लिए एक ही संज्ञा का प्रयोग होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि एक पुरुष इन सभी नातेदार स्त्रियों की लड़कियों से विवाह कर सकता है। इस दृष्टिकोण से अनेक सम्बन्ध-संज्ञाएं व्यक्ति के अन्य वर्गों के लोगों से स्थापित होने वाले सम्बन्धों के क्षेत्र को स्पष्ट करने में सहायक है।

अनेक विद्वानों का विचार है कि नातेदारी संज्ञाएं रक्त-सम्बन्ध तथा विवाह-सम्बन्ध से इतनी अधिक सम्बन्धित नहीं हैं जितना कि कुछ व्यक्तियों को एक विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा देने से। इसका तात्पर्य है कि जब हम कुछ व्यक्तियों को एक विशेष संज्ञा द्वारा सम्बोधित करते हैं तो यह इनके प्रति सम्मान की भावना को स्पष्ट करती है। इस दृष्टिकोण से जनजातीय समाजों में नातेदारी संज्ञाओं का विशेष महत्व है।